राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1949/2015/आबकारी/अजमेर.

श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी स्व0 श्री ईश्वर लाल नरावत
अनुज्ञाधारी मेमेन्टो रेस्टोरेन्ट बीयर बार, रामबाग
चौराहा, भगवानगंज, अजमेर. .....प्रार्थिया.

बनाम

1. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर.
2. जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर.
3. प्रहलाद सिंह प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, अजमेर .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी एवं श्री मुकेश भार्गव,
अभिभाषकगण .....प्रार्थिया की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. प्रार्थिया द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प.38(ए)( )पी/हो.बा./आब/2015/441 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9क(1)(ख) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया मेमेन्टो रेस्टोरेन्ट को राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम 2004 के तहत रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र संख्या 84/2010–11 दिनांक 31.03.2011 जारी किया गया है। प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, अजमेर शहर दक्षिण द्वारा दिनांक 28.05.2015 को प्रार्थिया के बीयर बार रेस्टोरेंट का निरीक्षण प्रार्थिया श्रीमती नर्मदा देवी की उपस्थिति में किया जाने पर मौके पर तीन गत्ते के कार्टन में विभिन्न ब्राण्ड के कुल 136 पव्वे अंग्रेजी शराब (फोर सेल इन राजस्थान) एवं एक पव्वा काउन्टर पर पाया गया, जबकि प्रार्थिया केवल बीयर बार की ही अनुज्ञाधारी है। इस पर प्रहराधिकारी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 व 58सी के तहत आबकारी अभियोग संख्या 16/15–16 दिनांक 28.05.2015 दर्ज किया गया। उक्त जांच के आधार पर आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर द्वारा प्रार्थिया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.06.2015 जारी किया गया एवं दिनांक 12.06.2015 को प्रार्थिया का अनुज्ञापत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। प्रार्थिया द्वारा

लगातार.....2

दिनांक 16.06.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे अस्वीकार करते हुए आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05.11.2015 से प्रार्थिया के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थिया द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रार्थिया की ओर से विद्वान अभिभाषकगण द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थिया आबकारी विभाग की नियमित मुखबिर रही है एवं विभाग को अवैध शराब के धन्धों के बारे में समय–समय पर बताती रही है। प्रार्थिया सांसी बस्ती की निवासी है, जिसके आसपास बड़ी संख्या में अवैध/कच्ची शराब का धंधा होता है, उक्त लोगों द्वारा द्वेषतापूर्वक उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। वक्त जांच मोमेन्टो बार में किसी तरह की अवैध शराब नहीं पायी गयी, बल्कि बार के पीछे खुले में कमल कोली नामक लड़के, जो कि बार में वेटर का काम करता था, ने तीन कार्टन में 136 पव्वे लाकर रख दिये गये थे एवं पुलिस के डर से एक पव्वा अपनी जेब से निकालकर काउन्टर पर रख दिया गया था, इस बाबत् उसने अपने बयानों में भी बता दिया था कि उसने अपनी सगाई होने के कारण अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिये उक्त शराब खरीदी थी तभी विभाग की टीम ने आकर उक्त माल कब्जे में ले लिया। विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि इस तथ्य की विस्तृत जांच के उपरान्त स्वयं प्रहराधिकारी, जिनके द्वारा निरीक्षण किया जाकर अभियोग दर्ज किया गया था, ने जिला आबकारी अधिकारी अजमेर को पत्र दिनांक 22.07.2015 प्रेषित करते हुए लिखा है कि "मेमोन्टो रेस्टोरेन्ट बियर बार में गहनता (बारीकी) से पूछताछ व पता लगाने में सामने आया कि इसमें बार मालिक श्रीमती नर्मदा देवी की कोई गलती नहीं थी क्योंकि बार में काम करने वाले श्री कमल कोली की सगाई हुई थी तो उसने अपने घर में प्रोग्राम रखा था और वह शराब के ठेके से शराब घर पर ले जाने के लिए लाया था जिसको चुपचाप लाकर बार में रख दी थी कमल उस शराब को घर ले जाने ही वाला था इतने में आबकारी निरोधक दल ने कार्यवाही कर शराब जप्त कर अभियोग दर्ज कर लिया था।....."

4. कथन किया कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रेषित पत्र दिनांक 30.07.2015 में लिखा है कि "अब तक किए गये अनुसंधान अनुसार मेमेन्टो रेस्टोरेन्ट की मालिका श्रीमति नर्मदा देवी पत्नि स्व0 श्री ईश्वरलाल व उनके रेस्टोरेन्ट पर कार्यरत स्टॉफ श्री कमल पुत्र श्री मोहन कोली, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मुकनाराम (नौकरनामा धारित बार सैल्समैन), श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरीप्रसाद तथा श्री गुलशन कोटवानी पुत्र श्री जमनदास

लगातार.....3

के बयान दर्ज किये जिनके अनुसार मेमेन्टो रेस्टोरेन्ट में कभी भी मदिरा का बेचान नहीं किया गया है व न ही कभी ग्राहकों को बैठा कर पीने की सुविधा दी गई है। बार अनुज्ञापत्र मिलने के उपरान्त से भी रेस्टोरेन्ट में सिर्फ बीयर का ही विक्रय किया गया है।''

5. कथन किया कि कार्यवाहक जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 21.08.2015 में अंकित किया गया है कि ''श्रीमान् से निवेदन है कि सांसी बस्ती में यह एक ही परिवार है जिसने स्वयं को अवैध कार्यों से दूर कर रखा है। अतः उक्त प्रकरण में अनुज्ञाधारी की प्रथम गलती मानते हुए अनुज्ञाधारी के प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण को विभागीय स्तर पर संयोज्य किया जाना उचित होगा। श्रीमान् से निवेदन है कि मन कार्यवाहक जिला आबकारी अधिकारी ने श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय आबकारी जोन अजमेर के निर्देशन में विशेष टीम का गठन कर माह अगस्त के मात्र 24 दिवसों में 36 प्रकरण दर्ज किये हैं जिनमें 9 प्रकरण विशेष प्रकृति के हैं। जिसमें एक भारी वाहन भी जप्त किया गया है, जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में कुल 20 विशेष प्रकरण दर्ज किये गये थे। अजमेर शहर में अवैध शराब का मुख्य ठिकाना सांसी बस्ती है। उक्त बार की अवस्थिति सांसी बस्ती में होने से इसकी सूचना पर अवैध शराब पर रोकथाम की पूर्ण सम्भावना है। अतः उक्त बार का अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित होगा। उक्त बार का नियमित निरीक्षण किया जाता रहेगा तथा कोई भी अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।''

6. विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि प्रहराधिकारी द्वारा दर्ज प्रकरण में श्री कमल के धारा 161 के तहत बयान लिये गये, जिसमें श्री कमल ने उक्त शराब के पव्वे स्वयं के होने एवं अपनी गलती होना स्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि ''दिनांक 28.5.15 को आबकारी पुलिस ने मोमेन्टो बियर बार से 137 पव्वे अंग्रेजी शराब विभिन्न ब्राण्ड सैल फोर राजस्थान के जप्त किये थे वो पव्वे मैंने ही लाकर रखे थे इसमें बियर बार मालिक की कोई भी गलती नहीं है क्यों की मेरी सगाई हुई थी और मैं अपने दोस्तों को पार्टी देने वाला था इस कारण मैं यह शराब खरीद कर चुपचाप लाकर बियर बार के स्टोर में रख दिया था उसी समय आबकारी पुलिस आ गई थी इस दौरान एक पव्वा ब्लेन्डर प्राईड का मैंने मेरी जेब में रखा था जिसे मैं पिना चा रहा था वो पव्वा भी मैं धीरे से काउन्टर में रख दिया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, आबकारी पुलिस ने 137 पव्वों का अभियोग श्रीमति नर्मदा नरावत के नाम बना दिया जो कि मेरी गलती का नतीजा है।''

लगातार.....4

7. विद्वान अभिभाषकगण ने इसी सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर का अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव, जिला जन अभियोग सतर्कता समिति, अजमेर को लिखे पत्र दिनांक 16.06.2015 की प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा अंकित किया गया है कि "दौराने जांच रामबाग चौराहे स्थित दुकानदार व क्षेत्रवासियों से परिवाद के अंकित तथ्यों के बारे में जानकारी की तो अनभिज्ञता जाहिर की एवं बयान देने बाबत् कहा तो बयान देने से मना कर दिया। रामबाग चौराहे पर स्थित मोमेन्टो बीयर बार को चैक किया गया तो उक्त बार आबकारी अजमेर द्वारा लाईसेंसशुदा बार है जिसके अनुज्ञापत्र की छायाप्रति प्राप्त की गई। बीयर बार को समय–समय पर आबकारी विभाग द्वारा भी चैक किया जाता है। बार में किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां नहीं पाई गई।....."

8. विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा प्रार्थिया को जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.06.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उक्त नोटिस प्रार्थिया को तामील होने से पहले ही आबकारी आयुक्त द्वारा प्रार्थिया को सुनवाई का मौका दिये बगैर अगले दिन दिनांक 12.06.2015 को रेस्टोरेंट बार का लाईसेंस निलम्बित कर दिया गया। इस प्रकार आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण किये बिना एवं प्रार्थिया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर, एकतरफा कार्यवाही की गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध है।

9. उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर विद्वान अभिभाषकगण द्वारा कथन किया गया कि समस्त प्रकरण में प्रार्थिया का कोई दोष प्रमाणित नहीं होता है, इसके विपरीत जांच अधिकारी–प्रहराधिकारी, आबकारी थाना अजमेर दक्षिण एवं जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रेषित अपनी रिपोर्टों में प्रार्थिया का कोई दोष होना नहीं बताया गया है, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण ही शून्य हो जाता है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थिया की अपील स्वीकार किये जाने एवं आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 05.11.2015 को निरस्त करते हुए, प्रार्थिया का बार लाईसेंस बहाल किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया।

10. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थिया के रेस्टोरेंट बार की जांच की जाने पर मौके पर 137 पव्वे शराब के पाये गये, ऐसी स्थिति में बार लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा विधि अनुसार प्रार्थिया का लाईसेंस निरस्त किया गया है, जिसमें किसी

लगातार.....5

प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थिया की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

11. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12. प्रकरण में प्रार्थिया को राजस्थान आबकारी रेस्टोरेन्ट बार नियम, 2004 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र जारी था, जिसके तहत बार मालिक बीयर एवं वाईन ही बिक्री के लिये बार में रख सकता है। इस प्रकरण में यह कतई विवाद नहीं है कि रेस्टोरेंट बार में अवैध रूप से रखे भारत निर्मित विदेशी मदिरा के अलग–अलग ब्राण्ड के 137 पव्वे बरामद हुए थे जिस पर प्रार्थी ने भी विवाद नहीं किया है, बल्कि इससे दोषमुक्त होने के लिये वह माल उनके नौकर का होना बताया गया है जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से स्वीकृत योग्य नहीं है क्योंकि इतने अधिक पव्वे नौकर द्वारा लाकर रखना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है, बल्कि नौकर के नाम से सिद्ध अपराध से बचने का प्रयास मात्र है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थिया का दिनांक 12.06.2015 का आबकारी आयुक्त के नोटिस के जवाब में लिखे पत्र में स्वयं यह बताया है कि उनका रेस्टोरेंट "सांसी बस्ती" में है जहां 80 प्रतिशत लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं एवं वे उनके विरूद्ध विभाग को सूचना देती है। इससे यह प्रकट होता है कि बार के आसपास अवैध शराब की बिक्री होती है एवं प्रार्थिया को यह पूर्ण ज्ञान था कि अवैध शराब रखना अपराध है एवं निःसंदेह उस "बस्ती" में अवैध शराब की बिक्री का स्कोप है एवं बस्ती में "बार" के नाम से प्राप्त लाईसेंस की आड़ में एकाधिकार से बिक्री की जा सकती है। इस जवाब में स्वयं ने यह भी बताया है कि अवैध शराब का धन्धा करने वालों ने बियर बार के पीछे के कमरों में वह शराब रखी थी। प्रार्थिया की ओर से कार्यालय प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल अजमेर शहर (दक्षिण) के प्रस्तुत पत्र के अवलोकन से यह भी आश्चर्यजनक तथ्य पाया गया कि स्वयं निरोधक दल द्वारा आरोपी को अवैध शराब के अपराध से बचाने के लिये बार मालिक को दोषहीन बताते हुए बार में काम करने वाले नौकर "कमल कोली" की सगाई के लिये शराब लाना बताया। अधिकारी ने पत्र में यहां तक लिखा है कि कमल कोली ने अपनी गलती स्वीकार कर शराब पर मालिकाना हक जताया था। इस पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निरोधक दल का प्रभारी ही अवैध शराब के प्रकरण में दोषी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह कार्यवाहक जिला आबकारी अधिकारी ने भी आरोपी को बचाने के लिये प्रकरण को संयोज्य करने की सिफारिश अपने पत्र दिनांक 21.08.2015 में की है जो पुनः यह दर्शाता है कि अधीनस्थ अधिकारी भी

लगातार.....6

आरोपी के बचाव में पत्र लिख रहे हैं जिसका लाभ प्रार्थी की ओर से उन पत्रों के आधार पर लेना चाहा है। इसी तरह मन जिला आबकारी अधिकारी ने भी दोषी के पक्ष में बयान लेकर यह बताया है कि लाईसेंसधारी ने यह बयान दिया है कि वे केवल बियर की ही बिक्री करते हैं, जबकि निष्कर्ष में यह भी स्पष्ट लिखा है कि 'शराब' बार परिसर में पाई जाने के कारण अनुज्ञाधारी दोषी है, लेकिन वह मुखबिरी भी करती है अतः अवैध शराब की रोकथाम हेतु अनुज्ञापत्र बहाल करने की सिफारिश भी की गयी है। इन पत्रों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि "सांसी बस्ती" में स्थित बार लाईसेंस की अनुज्ञा के पीछे अवैध शराब पकड़े जाने के बावजूद भी अधिकारी अनुज्ञाधारी के "बार लाईसेंस" को बचाना चाहते थे परन्तु आबकारी आयुक्त ने किसी गम्भीर अपराध में संयोज्य हेतु पेश प्रार्थना–पत्र को युक्तियुक्त कारण से अस्वीकार कर बार लाईसेंस निरस्त किया है अन्यथा रेस्टोरेंट के लिये जारी लाईसेंस की आड़ में अवैध मदिरा की बिक्री करने के अपराध को संयोज्य कर उक्त अवैध व्यापार को जारी किया जा सकता था। यह टिप्पणी करना भी उचित होगा कि अवैध शराब की मुखबिरी का कार्य करने से मुखबिर को अवैध व्यापार करने को अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रार्थी को जारी लाईसेंस में ही ये शर्तें उल्लेखित थी कि **'स्वयं'** या उसके **'नौकर'** द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा जबकि प्रार्थी के रेस्टोरेंट बार के परिसर में अवैध शराब रखी थी जो स्पष्ट रूप से बार लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश के जरिये बार लाईसेंस रद्द करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है अतः प्रार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

1/11/17

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

1/11/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य